

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक: प. 1 (2) (6)स्था./ICDS/10/ 43859
आदेश

जयपुर, दिनांक
24-6-10

विभाग में वर्तमान में पर्यवेक्षकों के 2236 पद एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 54915 स्वीकृत है। भारत सरकार के नवीनतम स्टाफिंग पैटर्नानुसार 25 आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु एक पर्यवेक्षक का पद रखा जाना है। उक्तानुसार पर्यवेक्षकों के 2197 पद ही रखे जाने हैं। शेष 39 पदों को अग्रिम आदेशों तक प्रास्तगित (Kept in abeyance) रखा जाता है।

(Sd/-)
शासन उप सचिव
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प. 1 (2) (6)स्था./ICDS/10/ 43860-876 जयपुर, दिनांक 24/6/10
प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- (1) संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- (2) प्रधान महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
- (3) विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर
- (4) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर
- (5) निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक/आयोजनावित्त (व्यय-2)/(आय/व्ययक) विभाग, राज. जयपुर।
- (6) वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
- (7) निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर
- (8) समस्त जिला कलक्टर
- (9) समस्त कोषाधिकारी
- (10) समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
- (11) अति.निदेशक(शिशु)/अति. निदेशक (पोषाहार)/
- (12) मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय को संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित पदों की संख्यानुसार बजट आवंटन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- (13) उप निदेशक (प्रशिक्षण)/उप निदेशक (वि.खा.का)
- (14) सहायक निदेशक(मो0)/ सहायक निदेशक(प्रशिक्षण)
- (15) समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
- (16) समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग।
- (17) आदेश पत्रावली

(Sd/-)
शासन उप सचिव
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

उक्त आदेश निदेशालय निम्नलिखित वेबसाइट पर
डाटा रहे।

(Sd/-)
24/6/10
24/6/10
O.S.
प्रा. 1 (2) (6)

24/6